गुणवत्ता नियंत्रण

उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध कराना CSD का प्रमुख उद्देश्य है। CSD के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के लिए एक सुव्यवस्थित और सिद्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा सक्रिय (Proactive) और प्रतिक्रियात्मक (Reactive) — दोनों प्रकार के कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

---

a) सक्रिय उपाय (Proactive Measures)

1. प्रारंभिक स्वीकृति से पहले (Prior to Introduction)

• फ़ैक्टरी का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) सुविधाओं की जाँच साइट पर की जाती है।
• शराब और खाद्य वस्तुओं के मामले में, फ़ैक्टरी निरीक्षण के साथ-साथ स्वच्छता निरीक्षण भी किया जाता है।

2. प्रारंभिक स्वीकृति के बाद (Post Introduction)

• खाद्य पदार्थों और शराब की वस्तुओं की पहली खेप को CFL/सरकारी या NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

3. नियमित परीक्षण (Routine Testing)

सामान्य स्टोर आइटम (General Store Items)
• सामान्य स्टोर वस्तुओं के नमूनों का परीक्षण हर तीन वर्ष में एक बार सरकारी/NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भारतीय मानक (IS)/तकनीकी डेटा विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

खाद्य और शराब वस्तुएँ (Food and Liquor Items)
• खाद्य और शराब वस्तुओं के नमूनों का परीक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी/CFL/NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में FSSAI दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

औषधियाँ (Medicines)
• CSD केवल प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई प्रमाणित गुणवत्ता वाली दवाइयों का ही प्रबंधन करता है।
• सभी दवाएँ उनकी समाप्ति तिथि से पहले ही बेची जाती हैं।
• शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित खेप की बिक्री तुरंत रोक दी जाती है और संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

---

b) प्रतिक्रियात्मक उपाय (Reactive Measures)

(लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध)

1. सामान्य स्टोर आइटम (General Store Items)

• आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वस्तु को परीक्षण के लिए सरकारी या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL) प्रयोगशाला में भेजा जाता है।
• यदि परीक्षण परिणाम में वस्तु तकनीकी विनिर्देशों या भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो फर्म पर विभागीय नीति के अनुसार दंड (penalty) लगाया जाता है।

2. खाद्य और शराब वस्तुएँ (Food & Liquor)

• शिकायत प्राप्त वस्तु की संबंधित खेप/बैच को क्वार्टर मास्टर जनरल (QMG) शाखा के अधीन कार्यरत खाद्य निरीक्षण संगठन (FIO) को आवश्यक परीक्षण हेतु भेजा जाता है। परीक्षण के दौरान लाभार्थी की शिकायत को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है और इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के विनिर्देशों का भी पालन किया जाता है।
• यदि परीक्षण परिणाम में वस्तु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो संबंधित खेप की बिक्री CSD डिपो तथा URC दोनों में निलंबित कर दी जाती है और फर्म पर विभागीय नीति के अनुसार दंड लगाया जाता है।